रजिस्ट्री सं. डीएल—(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL—(N)-04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9—मई 15, 2015 (वैसाख 19, 1937)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9—MAY 15, 2015 (VAISAKHA 19, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स ऑफ इंडिया
(चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल 2015

स0 1– सीए(7)/(168)/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से हरिद्वार शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की हरिद्वार शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हरिद्वार, रूड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार तथा उत्तराखंड के अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे जो कि हरिद्वार शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अन्तर्गत स्थित हैं।

परिणामस्वरूप, हरिद्वार तथा रूड़की, उत्तराखंड में जो कि अधिसूचना स01–सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के कारण अब तक सहारनपुर शाखा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते थे, अब सहारनपुर शाखा से अलग कर दिए गये हैं तथा सहारनपुर शाखा के संशोधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहारनपुर तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहर/स्थान जो कि सहारनपुर शहर की शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत हैं, आयेंगे। तदनुसार, अधिसूचना स01–सी0ए0(7)/(48)/2000 दिनांक 7 अप्रैल, 2000 संशोधित मानी जाए।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, हरिद्वार एवं सहारनपुर शाखाएं परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

———————

स0 1– सीए(7)/(169)/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से हल्द्वानी शहर, उत्तराखंड में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की हल्द्वानी शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हल्द्वानी, काठगोदाम, नैनीताल, पन्तनगर, रूद्रपुर तथा अन्य सभी शहर/स्थान आयेंगे, जो कि हल्द्वानी शहर के शहरी सीमा के 50 किलोमीटर दूरी के अंतर्गत स्थित हैं।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

———————

स0 1– सीए (7)170/2015––चार्टर्ड एकाउंटैन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1) के अनुसरण में भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद् दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 10–02–2015 से कालाबुरगी (गुलबरगा जिले) में स्थापना को अधिसूचित करती है।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की कालाबुरगी (गुलबरगा) शाखा के नाम से जानी जायेगी।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कालाबुरगी (गुलबरगा जिले) के सभी स्थान आयेंगे।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय–समय पर जारी किये जायेंगे।

वी. सागर
कार्यकारी सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 2015

सं.1/एनएससी-2014-खण्ड.III—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खण्ड-4 में दिनांक 1 जून, 2005 को अधिसूचना सं. 85 के रूप में प्रकाशित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प सं.ए11011/1/2005-प्रशा.I में निम्नलिखित संशोधन किए जाते हैं:

1) पैरा 2 के अंतर्गत उप पैरा (ग) में 'सचिव, योजना आयोग' के स्थान पर 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था)' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

2) पैरा 3 के अंतर्गत उप पैरा (i) में 'उपाध्यक्ष योजना आयोग' के स्थान पर 'उपाध्यक्ष नीति आयोग' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ।

2. यह संशोधन 24 मार्च, 2015 के तिथि से लागू होगा ।

अरुण कुमार यादव
संयुक्त सचिव

——————————

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

New Delhi, the 6th April 2015

No.1-CA(7)/(168)/2015—In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haridwar, Uttrakhand with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Haridwar Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haridwar, Roorkee, Rishikesh, Kotdwar and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haridwar city limits.

Consequently, Haridwar and Roorkee in Uttrakhand which hitherto been under jurisdiction of Saharanpur Branch in Uttar Pradesh (U.P.) by virtue of notification bearing no. 1-CA(7)/48/2000 dated 07th April, 2000, henceforth have been ceded from jurisdiction of Saharanpur Branch and revised jurisdiction of Saharanpur Branch will include Saharanpur and other cities/places in U.P. within a distance of 50 Km. from Saharanpur city limits. Accordingly, notification bearing no.1-CA(7)/(48)2000 dated 7th April, 2000 stands amended.

As prescribed under Regulation 159(3), both Haridwar and Saharanpur Branches shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

No.1-CA(7)/(169)/2015— In pursuance of Regulation 159(1) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Central India Regional Council at Haldwani, Uttrakhand with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Haldwani Branch of the Central India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include Haldwani, Kathgodam, Nanital, Pantnagar, Rudrapur and all cities/places within a distance of 50 Km. from Haldwani city limits.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Central India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

No.1-CA(7)/(170)2015—In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council in Kalaburgi (Gulbarga District), Karnataka with effect from 10th February, 2015.

The Branch shall be known as Kalaburgi (Gulbarga) Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include all the places within Kalaburgi (Gulbarga) District.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

V. SAGAR
Acting Secretary

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

New Delhi-110 001, the 7th April 2015

No. 1/NSC-2014-Vol.III.—In the Government of India, Ministry of Statistics and Programme Implementation Resolution No. A-11011/1/2005-Ad-I, published as Notification No. 85 on 1st June 2005 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III Section 4, the following amendments are made:

(1) In sub-paragraph (c) under paragraph 2, in place of the words 'Secretary, Planning Commission', the words 'Chief Executive Officer of the NITI Aayog (National Institution for Transforming India)' shall be substituted.

(2) In sub-paragraph (i) under paragraph 3, in place of the words 'Deputy Chairman of the Planning Commission', the words 'Vice-Chairperson of the NITI Aayog' shall be substituted.

2. This amendment comes into effect from 24th March, 2015.

ARUN KUMAR YADAV
Joint Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART III—SEC.4]—121 +1 + 1 = 123 Copies